

**संचालनालय, आयुष, मध्यप्रदेश**  
(आधार तल "डी" विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004)

www.dirayush.mp.gov.in

Office (0755) 2571187

Fax (0755) 2760225

कमांक/एफ-92/2023/02/स्था./1226-1296 भोपाल, दिनांक: 27/04/2023

// आदेश //

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल (ई.एस.बी.) द्वारा इस विभाग की रिक्तियों के जारी विज्ञापन अंतर्गत प्रावीण्य सूची एवं आवश्यक अर्हताओं/शर्तों को पूर्ण करने वाले निम्न चयनित अभ्यर्थियों को **स्टाफ नर्स, पद कोड-16 (तृतीय श्रेणी) के पद पर (सातवे वेतनमान-28700-91300 लेवल-7)** एवं उस पर देय प्रचलित मंहगाई भत्ते सहित 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थाई रूप से नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 06 में अंकित स्थान पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम/निवास स्थान	वर्ग/संवर्ग	कुल अंक	पदस्थापना स्थान का नाम
01	02	03	04	05	06
01	23554037	ललिता राठौर, पिता श्री मदनलाल राठौर, (OBC) पता- वार्ड न.8, इन्दौख रोड, ग्राम, झारडा, तहसील झारडा, जिला उज्जैन म.प्र.	UR/NIL/OPEN	68.3	शासकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, जिला मंदसौर
02	23558128	मुस्कान सोनी, पिता श्री कमल किशोर सोनी, पता- मकान न. 77, कुंदन नगर, बागमुगालिया, जिला भोपाल	UR/NIL/FEMALE	66.93	शासकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, शिवाजी नगर, जिला भोपाल
03	23550464	सरस्वती बैरागी, पिता श्री राजेन्द्र प्रसाद बैरागी, (OBC) पता- ग्राम बेरखेडी रूठयाई तहसील- राघौगढ़, जिला गुना म.प्र.	UR/NIL/OPEN	65.97	शासकीय होम्योपैथी चिकित्सालय, पीथमपुर, जिला धार
04	23556998	तमन्ना तेवतिया, पिता श्री संजय कुमार तेवतिया, पता- म.न. 20, आशा होम्स, एम.एल.नगर, हुजूर, जिला भोपाल म.प्र.	UR/NIL/FEMALE	64.84	शासकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, शिवाजी नगर, जिला भोपाल
05	23580868	सुरभि पटोडे, पिता स्व. श्री राजेश पटोडे, (OBC), पता- म.न. 452 सी-सेक्टर, राजहर्ष कालोनी, कोलार रोड, जिला भोपाल म.प्र.	UR/NIL/OPEN	64.38	शासकीय आयुर्वेद जिला चिकित्सालय, जिला नर्मदापुरम
06	23589362	प्रियंका यादव, पिता श्री शेर सिंह यादव, (OBC), पता- ग्राम वरवटू, पोस्ट मोरखेडी, तहसील राहतगढ़, जिला सागर म.प्र.	OBC/NIL/FEMALE	63.32	शासकीय आयुर्वेद जिला चिकित्सालय, जिला सागर

02....

8

क्र.	रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम/निवास स्थान	वर्ग/संवर्ग	कुल अंक	पदस्थापना स्थान का नाम
01	02	03	04	05	06
07	23588944	श्रीमती प्रीति विश्वकर्मा, पुत्री मूलचन्द्र विश्वकर्मा, पता- देरी रोड, वार्ड नं.37, पंचवटी कालोनी, जिला छतरपुर म.प्र.	UR/NIL/FEMALE	62.83	शासकीय आयुर्वेद जिला चिकित्सालय, जिला छतरपुर
08	23551109	राधिका पुत्री श्री अमरचन्द्र, (OBC), पता- म.न.76, संस्कार विहार कालोनी, वार्ड. न. 12, जिला रायसेन म.प्र.	OBC/NIL/FEMALE	61.79	शासकीय आयुर्वेद जिला चिकित्सालय, जिला शहडोल
09	23557901	श्री गणेश मालवीया, पुत्र श्री रामदास मालवीया, (OBC), पता- म.न. 130, वार्ड नं 7, बजरंग चौक, बमन गाँव आखई, जिला खण्डवा म.प्र.	OBC/NIL/OPEN	61.79	शासकीय आयुर्वेद जिला चिकित्सालय, जिला खरगौन
10	23580590	रीना रेनुका, पिता स्व.श्री शील कुमार गोब्रिएल, (UR) पता:- गायत्री नगर, अम्बेडकर वार्ड, तहसील व जिला कटनी	UR/NIL/FEMALE	61.46	शासकीय आयुर्वेद जिला चिकित्सालय, जिला दमोह
11	23588935	श्री राकेश यादव पिता श्री महेश यादव, (OBC), पता- ग्राम पुरैना, पोस्ट काँटी, तहसील हटा, जिला दमोह म.प्र.	OBC/NIL/OPEN	61.46	शासकीय आयुर्वेद जिला चिकित्सालय, जिला सागर
12	23590351	खुशबू सिंह, पिता श्री रावेन्द्र सिंह, (OBC), पता- ग्राम बाँसी, पोस्ट तमराबाँसी, जिला रीवा	OBC/NIL/FEMALE	60.15	शासकीय आयुर्वेद जिला चिकित्सालय, जिला सतना
13	23552703	भारती, पिता श्री हरिदास खातरकर, (SC) पता:- मकान न. 349, वार्ड न.01, खटीक मोहल्ला, मठारदेव महाराज वार्ड, सारणी, जिला बैतूल	SC/NIL/OPEN	60.15	शासकीय आयुर्वेद जिला चिकित्सालय, जिला नर्मदापुरम
14	23592746	श्री दिनेश मुकाती, पिता श्री नारायण मुकाती, (OBC), पता- मकान न. 56, पी.एन.टी. कालोनी, धनवंतरी नगर, जिला जबलपुर	OBC/NIL/OPEN	60.09	शासकीय होम्योपैथी चिकित्सालय, पीथमपुर, जिला धार
15	23556394	विमला बैरागी, पिता श्री बद्री प्रसाद बैरागी, (SC) पता:- 24 गणेल मोहल्ला, ग्राम, घट्टिया, जिला उज्जैन	SC/NIL/OPEN	59.09	शासकीय आयुर्वेद जिला चिकित्सालय, जिला मंदसौर
16	23573321	श्रीमती पूजा थंदार, पति श्री पुनिया थंदार, (ST), पता- म.न. 19, तडवी फालिया, ग्राम, गुडा छोटा, पोस्ट शिवगढ़, तहसील मेघनगर, जिला झाबुआ म.प्र.	ST/NIL/OPEN	58.74	शासकीय आयुर्वेद जिला चिकित्सालय, जिला धार

क्र.	रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम/निवास स्थान	वर्ग/संवर्ग	कुल अंक	पदस्थापना स्थान का नाम
01	02	03	04	05	06
17	23552420	श्री सत्येन्द्र शर्मा, पिता श्री विद्याराम शर्मा, (EWS), पता- ग्राम चिन्नौनी चम्बल, तहसील, जौरा, जिला मुरैना म.प्र.	EWS/NIL/OPEN	58.72	शासकीय गौधी आयुर्वेद चिकित्सालय, जिला मुरैना
18	23550810	सोनम, पिता श्री रामप्रसाद मोहबे, (SC), पता- म.न.241, वार्ड कं31 महात्मा फुले वार्ड, शोभापुर पाथरखेड़ा, जिला बैतूल म.प्र.	SC/NIL/OPEN	57.72	शासकीय होम्योपैथी चिकित्सालय, पीथमपुर, जिला धार
19	23594444	एप्रिना पेट्रिक पिता श्री एडवर्ड पेट्रिक, (EWS), पता- 67/2, सुभाष नगर, सावेर रोड, जिला उज्जैन म.प्र.	EWS/NIL/OPEN	57.35	शासकीय आयुर्वेद जिला चिकित्सालय, जिला रतलाम
20	23551487	अंतिमबाला डावर, पिता श्री दितु सिंह डावर, (ST), पता- डावर फलिया, सालखेड़ा डाबडी, तहसील, जोबट, जिला अलीराजपुर म.प्र.	ST/NIL/OPEN	55.98	शासकीय आयुर्वेद जिला चिकित्सालय, जिला झाबुआ
21	23553257	भानूप्रिया शर्मा पिता श्री महेश शर्मा, (EWS), पता- ग्राम+पोस्ट समोई, तहसील, रानापुर, जिला झाबुआ	EWS/NIL/OPEN	55.98	शासकीय आयुर्वेद जिला चिकित्सालय, जिला झाबुआ
22	23581535	माधुरी कुशवाहा, पिता श्री राजेन्द्र प्रसाद कुशवाहा, (OBC), पता- म.न.-2231, दुर्गा नगर, रामपुर, जिला जबलपुर म.प्र.	OBC/VH/POEN	47.54	शासकीय आयुर्वेद जिला चिकित्सालय, जिला धार

### उपरोक्त नियुक्तियों निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :-


- यह नियुक्ति अस्थाई रूप से तीन वर्ष की परीक्षा अवधि पर दी जाती है।
- म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक/सी.3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्रमांक-ब के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
- उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में अपने पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा।
- कार्यभार ग्रहण करने पर 15 दिवस में समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्तुत समस्त दस्तावेज यदि सत्यापन में या भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं, आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।



05. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिवस में जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
06. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई विपरित टीप/तथ्य उदभूत होता है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
07. आवेदन पत्र शुल्क रूपये 3/- शासकीय कोषालय में मद-0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवाएं-008 अन्य प्रतियों के अंतर्गत जमा करा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।
08. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के नियम 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
09. नियुक्ति के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी रूप में असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
10. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं म.प्र. शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। शासकीय सेवा में उपस्थित होने पश्चात् शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेशों एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।
11. संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
13. नियुक्त कर्मचारी का वरिष्ठताक्रम नियमानुसार रहेगा।
14. परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं (म.प्र. विभागीय सेवा भर्ती) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड के अनुसार किया जावेगा।
15. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नि./चार, दिनांक 02.04.2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात् शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर, नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।




16. यह अस्थाई नियुक्ति किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिये जाने के पहले या बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थित की तिथि से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, तो उन्हें एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।
17. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3-8-2006-3/1 दिनांक 05.07.2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में नियुक्त शासकीय सेवक के 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् 02 से अधिक जीवित संतान होने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
18. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
19. किसी भी प्रकार की टंकण, लिपीकीय कार्य एवं पदस्थापना स्थान में त्रुटि के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।

  
(सोनाली पोंक्षे वायंगणकर)  
आयुक्त  
संचालनालय, आयुष

पृ.क./एफ-92/2023/02/स्था./1226-1296 भोपाल, दिनांक: 27/04/2023  
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, आयुष म.प्र. शासन।
02. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल।
03. कलेक्टर जिला.....।
04. संभागीय आयुष अधिकारी.....।
05. जिला कोषालय अधिकारी.....।
06. जिला आयुष अधिकारी.....।
07. वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त आयुष संचालनालय।
08. संबंधित श्री .....।
09. आदेश नस्ती।

  
आयुक्त  
संचालनालय, आयुष

# संचालनालय, आयुष, मध्यप्रदेश

(आधार तल "डी" विंग, सतमुड़ा भवन, भोपाल-462004)

www.dirayush.mp.gov.in

Office (0755) 2571187

Fax (0755) 2760225

क्रमांक/एफ-249/2023/02/स्था./1345-1358 भोपाल, दिनांक: 27/04/2023

## आदेश

म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.01.2010, परिपत्र क्रमांक/796/982/2012/अ.प्र. दिनांक 26.12.2012 एवं म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 16 जनवरी 2018 के निहित प्रावधान अनुसार म.प्र. के विशेष आदिम जनजाति समुदायों जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया समुदाय के ऐसे अभ्यर्थी जो म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा विज्ञापित पैरामेडिकल पद हेतु नियम पुस्तिका के अध्याय 02 के बिन्दु क्रमांक 05 में अंकित निर्धारित अर्हता पूर्ण करते हैं, उन्हें **स्टाफ नर्स (पद कोड-16) तृतीय श्रेणी के पद पर वेतनमान रुपये 28,700-91,300 (लेवल क्रमांक-7)** में अस्थाई रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर उनके नाम के सम्मुख अंकित पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एतद् द्वारा निम्न शर्तों पर नियुक्त किया जाता है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	पदस्थापना स्थान
01	सावित्री मरावी, पिता चमरू लाल	शासकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, तामिया, जिला छिन्दवाड़ा
02	किरण भारती, पिता श्री अमर सिंह भारती	शासकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद


## उपरोक्त नियुक्तियाँ निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :-

01. यह नियुक्ति अस्थाई रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर दी जाती है।
02. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक/सी.3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्रमांक-ब के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
03. उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में अपने पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा।
04. कार्यभार ग्रहण करने पर 15 दिवस में समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्तुत समस्त दस्तावेज यदि सत्यापन में या भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं, आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
05. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिवस में जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

06. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया में जारी किये जा रहे हैं। चरित्र पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई विपरीत टॉप/तथ्य उदभूत होता है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
07. आवेदन पत्र शुल्क रूपये 3/- शासकीय कोषालय में मद-0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवाएं-008 अन्य प्रतियों के अंतर्गत जमा करा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।
08. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के नियम 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
09. नियुक्ति के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी रूप में असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
10. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं म.प्र. शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। शासकीय सेवा में उपस्थित होने पश्चात् शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेशों एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।
11. संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
13. नियुक्त कर्मचारी का वरिष्ठताक्रम नियमानुसार रहेगा।
14. परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 एवं (म.प्र. विभागीय सेवा भर्ती) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड के अनुसार किया जावेगा।
15. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नि./चार, दिनांक 02.04.2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात् शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर, नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
16. यह अस्थाई नियुक्ति किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिये जाने के पहले या बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थित की तिथि से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, तो उन्हें एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।



17. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3-8-2006-3 दिनांक 05.07.2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में नियुक्त शासकीय सेवकों के 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् 02 से अधिक जीवित संतान होने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
18. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
19. किसी भी प्रकार की टंकण, लिपीकीय कार्य एवं पदस्थापना स्थान में त्रुटि के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।

  
(सोनाली पौक्षे वायंगणकर)  
आयुक्त  
संचालनालय, आयुष

पृ.क./एफ-92/2023/02/स्था./1345-1358 भोपाल, दिनांक: १३/04/2023

**प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

01. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, आयुष म.प्र. शासन।
02. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल।
03. कलेक्टर जिला.....।
04. संभागीय आयुष अधिकारी.....।
05. जिला कोषालय अधिकारी.....।
06. जिला आयुष अधिकारी.....।
07. वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त आयुष संचालनालय।
08. संबंधित श्री .....।
09. आदेश नस्ती।

  
आयुक्त  
संचालनालय, आयुष